भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4522

दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

आईसीडीएस का पुनर्गठन

4522. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री एम. बदरूद्दीन अजमल:
श्री राहुल रमेश शेवले:
श्री भृर्तहरि महताब:
श्री एम. के. राघवन:

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है, जो देश भर में कुपोषण की समस्या के निवारण हेतु सीधे लक्षित कार्यक्रम हैं और इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की केरल सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने आईसीडीएस योजना का पुनर्गठन/पुनर्जीवित करना प्रस्तावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आईसीडीएस कार्यक्रम में अनियमितताओं के विरूद्ध प्राप्त/पंजीकृत शिकायतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या सरकार ने देशभर के विभिन्न राज्यों में आईसीडीएस योजना के कार्यान्वयन में कई करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो असम सहित तत्संबंधी राज्य/संध राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ड.) देश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आईसीडीएस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : देश में कुपोषण की समस्या के निवारण में लक्षित हस्तक्षेप के रूप में मंत्रालय किशोरी बालिकाओं के लिए आंगनवाड़ी सेवा स्कीम तथा अंब्रैला समेकित बाल विकास स्कीम के अंतर्गत प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना जैसे कई कार्यक्रम और स्कीमें लागू कर रहा है। विभिन्न सरकारी स्कीमों में पोषण संबंधित मसलों की निगरानी तथा उनके दिशा-निर्देश के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में पोषण अभियान का गठन किया गया है।

आंगनवाड़ी स्कीम बच्चों के विकास से संबंधित 6 सेवाओं यथा अनुपूरक पोषाहार, प्री-स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रशिक्षण, विसंक्रमण टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 8.75 करोड़ लाभार्थियों को ये सेवाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराई जाती हैं। आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत केरल सहित सभी लाभार्थियों की राज्यवार संख्या अनुबंध-। में दर्शाई गई है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत सभी पात्र गर्भवतीतथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भधारण और स्तनपान की अवधि के दौरान 3 किस्तों में 5000 रुपए का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। पात्र लाभार्थी को संस्थागत डिलीवरी कराने के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत स्वीकृत मानकों के अनुसार 1000 रुपए भी दिए जाते हैं। इस प्रकार मातृत्व लाभ के लिए मिलने वाला यह प्रोत्साहन लगभग 6000 रुपए हो जाता है। सभी लाभार्थियों (केरल सहित) की राज्यवार संख्या अनुबंध-।। में दर्शाई गई।

किशोरी बालिकाओं के लिए पोषाहार तथा उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए एक स्कीम लागू की गई है, जिसमें 11-14 आयु वर्ग की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है तथा उनके कौशल में वृद्धि की जाती है। यह स्कीम 01.04.2018 से देश के सभी जिलों में लागू है। इसके अंतर्गत वर्ष में 300 दिनों तक प्रति लाभार्थी को 9.5 रुपए की दर से पोषाहार सहयोग मुहैया कराया जाता है, इससे आगे किशोरी बालिकाओं के पोषाहार सहयोग के अलावा इस स्कीम का उद्देश्य स्कूल न जाने वाली इन किशोरियों को औपचारिक शिक्षा के लिए स्कूल भेजना तथा स्कीम के गैर-पोषाहार घटक के तहत उन्हें कौशल संबंधी प्रशिक्षण देना भी है। इस स्कीम के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी सूचना, साफ-सफाई, मौजूदा लोक सेवाओं के बारे में जानकारी भी शामिल है। इस स्कीम के तहत लाभार्थियों की राज्यवार (जिसमें केरल भी शामिल है) संख्या अनुबंध-।।। में दर्शाई गई है।

सरकार ने वर्ष 2017-18 से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पोषण अभियान तैयार किया है जो 18.12.2017 से लागू है। पोषण अभियान का उद्देश्य 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनापन रोकने, 0-6 आयु वर्ग के बच्चों में अल्प पोषण को रोकना, 2 प्रतिशत सालाना की दर से कम वजनी बच्चों की जन्म दर में कमी लाना तथा देश में 3 प्रतिशत वार्षिक की दर

से महिलाओं तथा किशोरियों में रक्ताल्पता को घटाना है। पोषण अभियान लाभार्थी केंद्रित स्कीम नहीं है।

(ख) : आईसीडीएस में संशोधन/उनमें बार-बार सुधार के साथ तैयार किया जाना एक अनवरत प्रक्रिया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के शुरूआत में इस स्कीम में सेवाओं की प्रदायगी की गुंजाइश को ज्यादा से ज्यादा व्यापक बनाते हुए इसे और मजबूत बनाने की दृष्टि से नया स्वरूप देते हुए इसमें कई नए घटक जोड़े गए थे। इसके बाद 2017 में इसमें कई नई विशेषताएं जोड़ी गईं। ये नई विशेषताएं आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवनों का निर्माण तथा इस कार्य को एमजीएनआरईजीएस से जोड़े जाने, आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों तथा पेयजल सुविधाओं का प्रावधान भी शामिल था।

(ग) : पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान स्कीम के समुचित क्रियान्वयन न होने के संबंध में 36 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015	2016	2017	2018
1	असम	-	2	-	-
2	बिहार	-	1	2	1
3	चंडीगढ़	-	1	-	-
4	छत्तीसगढ़	-	1	-	-
5	दिल्ली	-	1	-	-
6	महाराष्ट्र	2	1	1	-
7	मध्यप्रदेश	-	5	3	1
8	मेघालय	-	1	-	-
9	उड़ीसा	-	1	-	-
10	उत्तर प्रदेश	-	5	2	2
11	उत्तराखण्ड	-	2	1	-
	कुल	2	21	9	4

चूंकि यह स्कीम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित हुई थी। अत: ये शिकायतें राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं। किसी गंभीर आरोप वाले मामले की स्थिति में राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी गई है।

(घ) : शिकायतें जब भी और जैसे ही प्राप्त होती हैं उन्हें उचित कार्रवाई के लिए आंगनवाड़ी केंद्र चलाने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। तथापि ऐसा कोई सर्वे नहीं किया गया है।

(ड.) शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दृष्टि से आंगनवाड़ी सेवाओं तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के अलावा पोषण अभियान अन्य कई कार्यक्रमों के साथ घनिष्ठ तालमेल सुनिश्चित करता है। जिसमें सुदृढ़ सेवा प्रदायगी और हस्तक्षेप के लिए आईटी सज्जित सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, पोषाहार के सभी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित और जागृत करने के लिए सामुदायिक सहभागिता और जागरूकता आंदोलन तथा आंनगवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए उत्कृष्ट क्षमता निर्माण संबंधी प्रशिक्षण शामिल हैं।

शिशु मृत्यु दर घटाने तथा बाल स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विविध कार्यक्रम और स्कीमें लागू की जा रही हैं, जो इस प्रकार हैं:-

1. जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन के द्वारा संस्थागत डिलिवरी को बढ़ावा देना और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसके) जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में डिलीवरी कराने वाले सभी गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से नि:शुल्क प्रसव पूर्ण जांच मुहैया कराई जाती है तथा जिसमें सिजिरियन सेक्शन, प्रसव पूर्व देखभाल और जांच तथा एक वर्ष की आयु तक नवजात शिशु का नि:शुल्क इलाज आदि शामिल हैं।

2. व्यापक तथा गुणवत्तापरक रिप्रोडक्टिव, मातृक, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) सेवाओं के लिए सभी डिलीवरी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, नवजात शिशु की देखभाल सुनिश्चित करना विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाईयां (एसएनसीयू) स्थापित करना, नवजात शिशु स्टेबलाइजेशन यूनिट (एनबीएसयू) तथा छोटे और बीमार बच्चों की देखभाल के लिए कंगारू मदर केयर यूनिट (केएमसी) स्थापित करना। छोटे-छोटे नवजात शिशुओं को पिलाने के लिए मानव दुग्ध की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उप-जिला स्तर पर (एसएनसीयू) और लैक्टेशन मेनेजमेंट यूनिटों (एलएमयूज) के साथ व्यापक लैक्टेशन मेनेजमेंट सेंटर संचालित करना है। बच्चों के पालन-पोषण के तौर-तरीकों में सुधार के लिए आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा घरों में जन्में बच्चों को गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (एचबीएनसी) तथा छोटे बच्चों के लिए गृह आधारित देखभाल (एचबीवाईसी) उपलब्ध कराई जाती है।

3. जन्म के तुरंत बाद तथा पहले 6 माह तक बच्चों को सिर्फ मां का दूध पिलाने की बात को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अनुसरण में इस मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा के साथ माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य प्रावधानों पर ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषाहार दिवस आयोजित किए जाते हैं। स्तनपान के प्रोत्साहन (आंरभ में एक घंटे के भीतर बच्चों को दूध पिलाने), 6 माह तक बच्चों को विशेष रूप से स्तनपान कराने तथा आगे 2 वर्ष तक उन्हें कंपलिमेंट्री तौर पर स्तनपान कराने के उद्देश्य से मदर्स एब्शोल्यूट अफेक्शन (मा) नाम से एक

अभियान मॉस मीडिया में चलाया गया है तथा समुदायों और स्वास्थ्य सेवाओं में हेल्थकेयर उपलब्ध कराने वालों के लिए क्षमता निर्माण किया जा रहा है।

4. यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) बच्चों की जीवन घातक बीमारियों जैसे- टीवी, डिफ्थेरिया, कालीखांसी, पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस-बी और हेमोफिलस एनफ्लूएंजा-बी के कारण होने वाले खसरा, रूबैला, निमोनिया और दिमागी बुखार से बच्चों को बचाने के लिए एक सहयोगी टीकाकरण कार्यक्रम है। मिशन इंद्रधनुष और इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की शुरूआत उन बच्चों के टीकाकरण के लिए की गई है, जिनका टीकाकरण या तो हो ही नहीं सका अथवा हुआ भी तो आंशिक ही हुआ हो। अर्थात जो बच्चे विभिन्न कारणों से टीकाकरण में शामिल न हो सके हों।

5. अनुसूची के अनुसार संपूर्ण विसंक्रमण और संपूर्ण प्रसवपूर्व, प्रसव मध्य तथा प्रसवोत्तर जांच सुनिश्चित करने के लिए जच्चा तथा 2 वर्ष की आयु वाले बच्चों के नाम पर आधारित एक ट्रैकिंग (जच्चा तथा बच्चा ट्रैकिंग प्रणाली) आरंभ की गई है।

6. कुपोषण के अत्यंत गंभीर और विरल हालात वाले बच्चों की देखभाल तथा उनके इलाज के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में पोषाहार पुनर्वास केंद्र (एनआरसीज) स्थापित किए गए हैं जहां गंभीर चिकित्सा स्थिति वाले बच्चों को एडमिट किया जाएगा।

7. संवेदनशील और नाजुक आयु वर्ग के बच्चों में रक्ताल्पता को रोकने के लिए उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड (आईएफए) की अनुपूरक खुराक देना, बच्चों में डायरिया के इलाज के लिए उन्हें जिंक और ओआरएस तथा विशेष रूप से स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा होम विजिट करना।

8. सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के द्वारा स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा देना तथा व्यवहार में परिवर्तन परक संचार (बीसीसी) ताकि स्वस्थ परम्पराओं को बढ़ावा दिया जा सके और सर्विस अपटेक में सुधार करते हुए मांग सृजन के साथ जागरूकता बढ़ाई जा सके।

9. स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण के द्वारा उनकी क्षमता निर्माण : गर्भावस्था, प्रसव तथा नवजात शिशु के संबंध में आधारभूत और व्यापक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य सेवा व देखभाल उपलब्ध कराने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को कौशल प्रशिक्षण देना तथा उनकी क्षमता के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

****

अनुलग्नक-I

'आईसीडीएस का पुनर्गठन' विषय पर दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पूछे गए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4522 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

31.03.2019 को विद्यमान स्थिति के अनुसार आंगनवाड़ी सेवा स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत और संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या													
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीडीएस परियोजनाओं की संख्या		आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या		अनुपूरक पोषाहार लाभार्थियों की संख्या					स्कूल पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या		
		स्वीकृत	संचालित	स्वीकृत	संचालित	बच्चे (6 माह-3वर्ष)	बच्चे (3-6 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह-6 वर्ष)	गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताएं (पी एंड एलएम)	कुल लाभार्थी (बच्चे 6 माह-6 वर्ष + पी एंड एलएम)	लड़के (3-6 वर्ष)	लड़किया (3-6 वर्ष)	कुल (3-6 वर्ष)
1	आंध्र प्रदेश	257	257	55607	55607	1428615	835787	2264402	654975	2919377	425765	429366	855131
2	तेलंगाना	149	149	35700	35634	950000	550000	1500000	400000	1900000	319213	320160	639373
3	अरुणाचल प्रदेश	98	98	6225	6225	92437	96623	189060	24517	213577	48662	47961	96623
4	असम	231	231	62153	62153	1450009	1580668	3030677	594296	3624973	798997	770373	1569370
5	बिहार	544	544	115009	99583	2458176	3511680	5969856	1404672	7374528	1322649	1359236	2681885
6	छत्तीसगढ़	220	220	52474	51215	1218800	997200	2216000	493800	2709800	383582	389108	772690
7	गोवा	11	11	1262	1262	36098	16898	52996	14637	67633	8304	8459	16763
8	गुजरात	336	336	53029	53029	1697190	1407503	3104693	744902	3849595	731345	711848	1443193
9	हरियाणा	148	148	25962	25962	571150	268189	839339	263553	1102892	133976	134213	268189
10	हिमाचल प्रदेश	78	78	18925	18925	242255	155857	398112	96365	494477	51275	51428	102703
11	जम्मू और कश्मीर	141	141	31938	29599	410165	388285	798450	159609	958059	133533	128803	262336
12	झारखंड	224	224	38432	38432	1676737	1067818	2744555	718337	3462892	579557	654976	1234533
13	कर्नाटक	204	204	65911	65911	2314824	1633913	3948737	895465	4844202	756722	761405	1518127
14	केरल	258	258	33318	33244	434574	380920	815494	304349	1119843	198866	182054	380920
15	मध्य प्रदेश	453	453	97135	97135	3310508	3260935	6571443	1426266	7997709	1774542	1773200	3547742
16	महाराष्ट्र	553	553	110486	110219	2583119	2613035	5196154	961743	6157897	1265417	1266428	2531845
17	मणिपुर	43	43	11510	11510	163401	177583	340984	67208	408192	89622	87961	177583
18	मेघालय	41	41	5896	5896	208905	245214	454119	73879	527998	96680	95944	192624
19	मिजोरम	27	27	2244	2244	72283	82939	155222	28150	183372	27851	28483	56334
20	नागालैंड	60	60	3980	3980	133392	145418	278810	34366	313176	73028	71181	144209
21	ओडिशा	338	338	74154	72587	1871082	2047340	3918422	725129	4643551	1044813	1002527	2047340

22	पंजाब	155	155	27314	27279	395846	275650	671496	186289	857785	140745	135223	275968
23	राजस्थान	304	304	62010	61974	1709488	957669	2667157	875613	3542770	478010	493403	971413
24	सिक्किम	13	13	1308	1308	14500	10000	24500	5800	30300	6285	6215	12500
25	तमिलनाडु	434	434	54439	54439	1781128	659024	2440152	732488	3172640	558896	543460	1102356
26	त्रिपुरा	56	56	10145	9911	160446	171907	332353	69304	401657	86945	84962	171907
27	उत्तर प्रदेश	897	897	190145	187997	8334903	4057703	12392606	3548330	15940936	2146348	1911355	4057703
28	उत्तराखंड	105	105	20067	20067	431166	165896	597062	177003	774065	77200	80506	157706
29	पश्चिम बंगाल	576	576	119481	116107	3063226	2848092	5911318	1366355	7277673	1388168	1335134	2723302
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	5	5	720	720	7423	2168	9591	2375	11966	1079	1089	2168
31	चंडीगढ़ **	3	3	450	450	21641	26906	48547	7231	55778	13991	12915	26906
32	दिल्ली *	95	95	10897	10897	302812	134234	437046	114264	551310	65895	68339	134234
33	दादरा और नागर हवेली	2	2	302	302	8888	10475	19363	3523	22886	5185	5290	10475
34	दमन और दीव	2	2	107	107	2762	2388	5150	1451	6601	1156	1232	2388
35	लक्षद्वीप	9	9	107	107	2607	843	3450	1148	4598	406	437	843
36	पुडुचेरी	5	5	855	855	24210	2596	26806	9157	35963	1309	1287	2596
	संपूर्ण भारत	7075	7075	1399697 [1400000 भारत सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत]	1372872	39584766	30789356	70374122	17186549	87560671	15236017	14955961	30191978
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समेकित रिपोर्ट के आधार पर													
* राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा 253 आंगनवाड़ी केंद्र अभ्यर्पित किए गए, जिंहे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या 11-33/2015-सीडी-1 दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के द्वारा स्वीकृत किया गया													
** चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 50 आंगनवाड़ी केंद्र अभ्यर्पित किए गए, जिंहे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आदेश संख्या 11-33/2015-सीडी दिनांक 21 दिसंबर, 2018 के द्वारा स्वीकृत किया गया													

अनुलग्नक-II

'आईसीडीएस का पुनर्गठन' विषय पर दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4522 के उत्तर में संदर्भित विवरण

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत (16.07.2019 को यथा विद्यमान स्थिति के अनुसार) नामांकित लाभ प्राप्त लाभार्थियों तथा इस योजना के तहत वितरित समस्त राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (जिसमें केरल भी शामिल है)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामित लाभार्थियों की संख्या	भुगतान प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	बांटी गई कुल राशि (रुपयो में)
	भारत मे कुल	1,01,68,924	88,80,383	34638565000
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	3,516	3,399	14452000
2	आंध्र प्रदेश	7,11,017	6,38,094	2640000000
3	अरुणाचल प्रदेश	8,262	6,969	26847000
4	असम	2,59,107	2,25,357	781000000
5	बिहार	5,76,751	4,19,841	1210000000
6	चंडीगढ़	13,040	12,237	48007000
7	छत्तीसगढ	2,72,439	2,34,038	807000000
8	दादरा और नागर हवेली	4,539	3,869	12991000
9	दमन और दीव	2,623	1,913	6678000
10	दिल्ली	1,05,789	95,701	389000000
11	गोवा	9,960	9,323	38369000
12	गुजरात	4,78,555	4,44,898	1940000000
13	हरियाणा	2,96,799	2,65,474	1110000000
14	हिमाचल प्रदेश	1,05,715	95,707	383000000
15	जम्मू और कश्मीर	1,02,710	86,965	345000000
16	झारखंड	2,65,979	2,19,495	813000000
17	कर्नाटक	5,53,814	5,11,080	2180000000
18	केरल	3,23,648	2,91,079	1140000000
19	लक्षद्वीप	601	484	1546000
20	मध्य प्रदेश	12,28,862	11,37,985	4490000000
21	महाराष्ट्र	9,87,596	8,32,539	3510000000
22	मणिपुर	22,234	16,046	75355000
23	मेघालय	8,476	7,828	29872000
24	मिजोरम	13,286	12,591	54297000
25	नागालैंड	7,729	6,076	27211000
26	ओडिशा *	7	5	23000
27	पुडुचेरी	11,050	9,279	38204000
28	पंजाब	2,08,511	1,88,122	795000000
29	राजस्थान	8,37,518	7,51,332	2830000000
30	सिक्किम	5,031	4,672	19713000
31	तमिलनाडु	2,80,623	2,26,174	522000000
32	तेलंगाना **	3	0	0
33	त्रिपुरा	36,922	30,083	106000000
34	उत्तर प्रदेश	18,31,777	16,09,150	6240000000
35	उत्तराखंड	84,676	77,871	294000000
36	पश्चिम बंगाल	5,09,759	4,04,707	1720000000

* राज्य अपनी मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू कर रहा है। इस मंत्रालय ने को-ब्रांडिंग के तहत राज्य को राज्य के मातृत्व कार्यक्रम के साथ पीएमएमवीवाई योजना को लागू करने की अनुमति दे ही है।

** राज्य अपना मातृत्व लाभ कार्यक्रम लागू कर रहा है, इस मंत्रालय ने को-ब्रांडिंग के तहत राज्य को उसके मातृत्व लाभ कार्यक्रम के साथ पीएमएमवीवाई योजना को लागू करने की अनुमति दे दी है।

अनुलग्नक-III

'आईसीडीएस का पुनर्गठन' विषय पर दिनांक 19 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4522 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित विवरण

पिछले तीन वर्ष के दौरान एसएजी के अंतर्गत पोषाहार लाभार्थी

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पोषाहार लाभार्थी (11-14 वर्ष की स्कूल छोड़ चुकी लड़कियां)		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	15261	14763	39181
2	अरुणाचल प्रदेश	526	266	
3	असम	74727		54352
4	बिहार	492609	396805	130222
5	छत्तीसगढ़	14681	13673	16093
6	गोवा	42	45	21
7	गुजरात	NR	NR	174620
8	हरियाणा	592	667	5066
9	हिमाचल प्रदेश	944	939	630
10	जम्मू और कश्मीर	9480	NR	16963
11	झारखंड	58568	63515	
12	कर्नाटक	48971	28022	58670
13	केरल	276	712	
14	मध्य प्रदेश	122230	125452	305000
15	महाराष्ट्र	56936	45898	24478
16	मणिपुर	5079	5061	4056
17	मेघालय	1801	1852	1655
18	मिजोरम	1124	897	715
19	नागालैंड	10326	6455	7320
20	ओडिशा	58217	56893	
21	पंजाब	4338	2143	4339
22	राजस्थान	NR	NR	173591
23	सिक्किम	NR	6	
24	तमिलनाडु	2453	2337	
25	तेलंगाना	8369		19410
26	त्रिपुरा	2930	971	56045
27	उत्तर प्रदेश	496000	NR	277000
28	उत्तरांचल	NR	NR	
29	पश्चिम बंगाल	1996	2842	43287
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	31	25	21
31	चंडीगढ़	220	186	55
32	दमन और दीव	0	0	20
33	दादरा एवं नागर हवेली	652	NR	
34	दिल्ली	5029	3383	2152
35	लक्षद्वीप	9	10	7
36	पुडुचेरी	16	18	22
	कुल	1494433	773836	1414991